

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श

कमांक 321 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 14 मई, 2025

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार श्रीमती रश्मि बागरी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (नवीन न्यायालय) की पदस्थापना किए जाने, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (सुश्री स्वाति रघुवंशी) एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा (श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा) का न्यायालय रिक्त हो जाने के फलस्वरूप इस स्थापना पर गठित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना समिति के प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2025 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1	श्रीमती सुषमा साकेत, स0ग्रे0-3	प्रस्तुतकार, न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (सुश्री स्वाति रघुवंशी) (रिक्त न्यायालय) से	प्रस्तुतकार, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती रश्मि बागरी) (नवीन न्यायालय) में	रिक्त स्थान पर
2	श्री विष्णु प्रसाद तिवारी, स0ग्रे0-3	निष्पादन लिपिक, न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (सुश्री स्वाति रघुवंशी) (रिक्त न्यायालय) से	निष्पादन लिपिक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती रश्मि बागरी) (नवीन न्यायालय) में	रिक्त स्थान पर
3	श्रीमती सुष्मिता सिंह, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा) (रिक्त न्यायालय) से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती रश्मि बागरी) (नवीन न्यायालय) में	रिक्त स्थान पर
4.	श्रीमती खुशबू त्रिपाठी, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय बारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्रीमती कंचन गुप्ता) (रिक्त न्यायालय) से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्रीमती पद्मा जाटव) के न्यायालय में	श्री जमाल खान के स्थान पर
5	श्री सुजीत गुप्ता, स0ग्रे0-3	निष्पादन लिपिक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा) (रिक्त न्यायालय) से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय सत्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (श्रीमती अनु सिंह) रीवा के न्यायालय में	श्रीमती रश्मि रावत के मातृत्व अवकाश पश्चात कर्तव्य पर

				उपस्थित होने तक की अवधि के लिए
--	--	--	--	---

नोट— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हस्ता—
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृ0क0—**2484**/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक **14** मई, 2025

प्रतिलिपि :-

1. न्यायालय चतुर्थ/सत्रहवें/बारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश
3. न्यायालय तृतीय/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
4. पी0ए0 टू मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित कर्मचारी-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति **एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी.** साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0